

By-Akhilesh Kumar (G. T Assistant professor)

JK College Biraul Darbhanga

YouTube -A Commerce Education (ACE)

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAU, DARBHANGA

**FOR-LNMU -B.com part - 3Rd Paper-vii – Taxation
Theory and Practice Unit-1**

प्रश्न - 'कर' की परिभाषा दीजिए तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के सापेक्षिक गुणों एवं दोषों की विवेचना कीजिए।

अथवा

“एक न्यायपूर्ण एवं पर्याप्त कर प्रणाली के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों की आवश्यकता है।” इस कथन की विवेचना करारोपण नीति के प्रमुख उद्देश्यों के सन्दर्भ में कीजिए।

अथवा

“प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों ही एक अच्छी कर प्रणाली के लिए आवश्यक हैं।” व्याख्या करो।

अथवा

कर की परिभाषा दीजिए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में अन्तर बताइए।

कर का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Tax)

वर्तमान समय में 'कर' सार्वजनिक आय का एक प्रमुख साधन है। सरल शब्दों में, 'कर' मुद्रा के रूप में एक अनिवार्य अंशदान है जो नागरिकों के सामान्य हित एवं कल्याण के लिए सरकार द्वारा नागरिकों से वसूल किया जाता है।

विभिन्न विद्वानों द्वारा कर को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं-

(1) प्लेहन (Plehn) के अनुसार, "कर सामान्यतः धन के रूप में दिया गया वह अनिवार्य अंशदान है जो राज्य के निवासियों को सामान्य लाभ पहुँचाने के लिए किये गये व्ययों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक अथवा समामेलित व्यक्तियों से लिया जाता है।"

(2) सैलिगमैन (Seligman) के अनुसार, “कर एक व्यक्ति से उन व्ययों को पूरा करने के लिए सरकार को एक अंशदान है, जो सामान्य हित में किये जाते हैं तथा जिनका सम्बन्ध कोई विशेष लाभ प्राप्त करने से नहीं होता।”

(3) डाल्टन (Dalton) के अनुसार, ‘कर एक अनिवार्य अंशदान है जो किसी सरकार द्वारा लगाया जाता है और जिसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं होता।’

संक्षेप में, कर समाज के व्यक्तियों (प्राकृतिक एवं समामेलित दोनों) द्वारा राज्य को प्रदत्त एक अनिवार्य अंशदान है जिसकी आय जनसाधारण के हित में प्रयोग की जाती है तथा जिसके बदले में करदाता को किसी निश्चित सेवा या सुविधा का कोई प्रत्यक्ष आश्वासन नहीं दिया जाता।

कर की विशेषताएँ (Characteristics of Tax)

- (1) कर एक अनिवार्य भुगतान है,
- (2) कर एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है,
- (3) करों से प्राप्त आय सबके हित में व्यय की जाती है,

(4) कर और राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कोई सम्बन्ध नहीं होता।

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

प्रत्यक्ष कर उन करों को कहा जाता है जिनका भुगतान एक ही बार में कर दिया जाता है तथा वही व्यक्ति उनका भुगतान करता है जिस पर वह कर लगाया जाता है अर्थात् ऐसे करों के भार को दूसरों पर नहीं टाला जा सकता। इस प्रकार प्रत्यक्ष करों में कर का दबाव एवं भार (कराघात और करापात) एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। आयकर एवं धनकर इस प्रकार के कर के प्रमुख उदाहरण हैं।

प्रत्यक्ष कर से सम्बन्धित मुख्य परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

डाल्टन के अनुसार, 'प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके ऊपर यह करा रोपित किया जाता है।'

जे० एस० मिल के अनुसार, "प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भार उन्हीं व्यक्तियों पर पड़ता है जिन पर यह कर लगाया जाता है।"

फिण्डले शिराज के अनुसार, “प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो सीधे अथवा प्रत्यक्षतः लोगों की सम्पत्ति अथवा आय पर लगाये जाते हैं एवं जिनका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा सीधा सरकार को किया जाता है।” जैसे आयकर, धनकर, मृत्युकर आदि।

संक्षेप में जिस कर के भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व एक ही व्यक्ति पर पड़े, उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है।

प्रत्यक्ष करों के गुण या लाभ (Merits of Direct Taxes)

प्रत्यक्ष करों के मुख्य गुण इस प्रकार हैं-

- (1) न्यायपूर्ण- प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कर प्रगतिशील होते हैं और जनता पर उनकी कर देय क्षमता के अनुसार लगाये जाते हैं।
- (2) उत्पादकता- इन करों में उत्पादकता का गुण होता है, क्योंकि देश में आय और सम्पत्ति में वृद्धि होने के साथ ही इन करों से प्राप्त होने वाली आय में भी वृद्धि हो जाती है।
- (3) निश्चितता- इन करों में करदाताओं के लिए पहले से ही निश्चित होता है कि उन्हें कब, किस प्रकार और किस दर से कर देना है ?

(4) लोचपूर्ण- इन करों में लोचता भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और आवश्यकतानुसार करों की दरों में परिवर्तन करके कर आय में परिवर्तन किया जा सकता है।

(5) मितव्ययिता- इन करों में सरकार और करदाता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने से कर संग्रहण में मितव्ययिता रहती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष करों का भुगतान करदाता के द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है, इसलिए करों की वसूली में बहुत कम खर्च होता है।

(6) सामाजिक जागरूकता एवं शैक्षिक मूल्य- ऐसे करों का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उनका भुगतान करता है, अतः उसके मन में सामाजिक जागरूकता बढ़ती है और वह इस बात में रुचि लेता है कि सरकार कर प्राप्ति की राशि का प्रयोग किस प्रकार करती

(7) आर्थिक विषमताओं को कम करने में सहायक- प्रत्यक्ष करों से यह लाभ भी मिलता है कि आय और सम्पत्ति पर प्रगतिशील दरों से कर लगाकर देश में आय और सम्पत्ति के वितरण में असमानताओं को कम किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष करों के दोष (Demerits of Direct Taxes)

(1) **असुविधाजनक-** इन करों में करदाताओं को अधिक असुविधा होती है। उन्हें अपनी आय और सम्पत्ति का पूरा हिसाब रखना पड़ता है, कर अधिकारियों से निरीक्षण कराना होता है तथा कर निर्धारण के लिए कर अधिकारियों तक जाना पड़ता है।

(2) **करों की चोरी-** प्रत्यक्ष करों में करदाता आय और सम्पत्ति के झूठे विवरण दिखाकर करों की चोरी कर सकता है। यदि करों की दर प्रगतिशील होती है तो करों की चोरी को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

(3) **सभी वर्गों का योगदान न रहना-** प्रत्यक्ष करों से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के लिए देश के सभी वर्गों का योग प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कर एक निश्चित सीमा से अधिक आय या सम्पत्ति पर ही लगाये जाते हैं।

(4) **बचत और विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव-** प्रत्यक्ष कर बचत एवं विनियोग को हतोत्साहित करते हैं क्योंकि सामान्यतः प्रत्यक्ष करों का भार उसी वर्ग पर पड़ता है जो बचत और विनियोग कर सकते हैं।

(5) **विरोध- प्रायः** इन करों को चुकाने में कष्ट होता है क्योंकि इन करों के भार को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता। ऐसे करों में मामूली सी वृद्धि भी करदाताओं को तुरन्त खलने लगती है, अतः ऐसे करों का विरोध होना स्वाभाविक है।

(6) **करों की मनमानी दर-** सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों की जो दरें निर्धारित की जाती हैं उनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। एक निश्चित मात्रा में सम्पत्ति और निश्चित आय के नीचे सब व्यक्तियों को कर में छूट दे दी जाती है तथा यह सीमा भी प्रत्येक वार्षिक बजट में परिवर्तित कर दी जाती है। इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता है।

(7) **केवल प्रत्यक्ष करों से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती-** सरकार अपनी आय के लिए केवल प्रत्यक्ष करों पर निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि इनसे पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

अप्रत्यक्ष कर उन करों को कहते हैं जिनका भुगतान करने वाला व्यक्ति उनके भार को दूसरे व्यक्तियों पर डाल देता है। व्यापार कर, बिक्री एवं उत्पादन कर आदि अप्रत्यक्ष करों के प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे करों के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि करदाता कर की रकम को वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में जोड़कर कर

के भार को उपभोक्ताओं पर डाल देता है। अतः वस्तुओं और सेवाओं पर लगाये गये कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं।

अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मुख्य परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

डाल्टन के अनुसार, “अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया किसी और पर जाता है और भुगतान कोई और करता है।”

जे० एस० मिल के अनुसार, “अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे भुगतान करने वाला व्यक्ति दूसरों पर पूर्णतया या आंशिक रूप से टाल देता है।”

संक्षेप में, अप्रत्यक्ष करों में कराघात और करापात भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है।

अप्रत्यक्ष करों के गुण या लाभ (Merits of Indirect Taxes)

(1) **सुविधाजनक-** अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि इनका भुगतान वस्तु या सेवाओं को क्रय करते समय या उपभोग करते समय ही कर दिया जाता है। इससे कर का भार उन्हें महसूस नहीं हो पाता।

(2) **न्यायपूर्ण-** अप्रत्यक्ष कर सभी वर्ग के व्यक्तियों को उपभोग के अनुपात में देना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक उपभोग

करता है उसे उतना ही अधिक कर देना पड़ता है। इस प्रकार यह कर न्यायपूर्ण होता है।

(3) कर से बचना कठिन- प्रत्यक्ष कर से बचने की कम सम्भावना रहती है क्योंकि इसका सम्बन्ध वस्तु या सेवा के उपयोग अथवा उपभोग से होता है। अतः जो भी व्यक्ति वस्तु या सेवा का क्रय या उपभोग करेगा उसे कर का भुगतान करना ही पड़ेगा।

(4) लोचपूर्ण- अप्रत्यक्ष करों को लोचपूर्ण भी बनाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर की दर में थोड़ा सा परिवर्तन करके राजकीय आय में पर्याप्त वृद्धि या कमी की जा सकती है।

(5) सामाजिक कल्याण के अनुरूप- इन करों से सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती, है क्योंकि ऐसी वस्तुओं पर जिनके उपयोग से सामाजिक कल्याण में कमी होती है, करों की मात्रा में वृद्धि कर उनके उपभोग को हतोत्साहित किया जा सकता है। यही कारण है कि शराब, सिगरेट, भांग, अफीम आदि हानिकारक एवं नशीली वस्तुओं पर उँचा कर लगाया जाता है।

(6) विकासशील देशों में विशिष्ट महत्व- विकासशील देशों में इन करों का विशिष्ट महत्व होता है क्योंकि आय का स्तर नीचा

होने के कारण प्रत्यक्ष करों से पर्याप्त आय सम्भव नहीं हो पाती। दूसरे, उपभोग को नियन्त्रित करने तथा पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करने में अप्रत्यक्ष कर विशेष सहायक होता है

अप्रत्यक्ष करों के दोष (Demerits of Indirect Taxes)

(1) **अनिश्चितता-** अप्रत्यक्ष करों से होने वाली आय अनिश्चित होती है अर्थात् इनसे हो सकने वाली आय का सही अनुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि वस्तु की माँग का पहले से ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(2) **अमितव्ययी-** अप्रत्यक्ष कर अमितव्ययी होते हैं क्योंकि इनका संग्रहण व्यय अपेक्षाकृत अधिक होता है।

(3) **समानता तथा कर-** दान योग्यता सिद्धान्त पर आधारित नहीं-अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः जीवनोपयोगी तथा उपभोग एवं विलास की वस्तुओं पर ही लगाया जाता है। निर्धन व्यक्ति अपनी आय को आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं पर ही व्यय करता है। फलस्वरूप कर-भार भी निर्धन व्यक्ति पर ही अधिक पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष कर समानता या न्याय का खंडन करता है।

(4) आर्थिक व सामाजिक दोष- अप्रत्यक्ष करों से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। मूल्य बढ़ने से उन वस्तुओं की माँग कम हो जाती है जिससे उत्पादन गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है।

(5) नागरिक चेतना का अभाव- अप्रत्यक्ष करों में उपभोक्ता यह नहीं जान पाते कि करों का भुगतान कर रहे हैं और कितनी मात्रा में कर रहे हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष करों को वस्तुओं एवं सेवाओं के बिक्री मूल्य में शामिल कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे करों की राशि बहुत छोटी होती है, अतः करदाताओं में यह नागरिक चेतना पैदा नहीं हो पाती कि उनके द्वारा भुगतान की गई करों की राशि को सरकार द्वारा किस प्रकार व्यय किया जा रहा है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के सापेक्षिक गुण-दोष

(1) साधनों का आबंटन- साधनों के आबंटन सम्बन्धी प्रभावों की दृष्टि से प्रत्यक्ष करों को अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। यदि किसी निश्चित राशि का संग्रह अप्रत्यक्ष करों की सहायता से किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से समाज पर उसका भार अधिक पड़ेगा क्योंकि अप्रत्यक्ष करों का भार प्रायः

मध्यम एवं निम्न वर्ग पर अधिक पड़ता है जबकि प्रत्यक्ष कर आय तथा सम्पत्ति पर लगाये जाते हैं जिनका भार धनी वर्ग पर अधिक पड़ता है।

(2) धन के वितरण की असमानता की कमी- यद्यपि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दाना प्रकार के करों के द्वारा धन और सम्पत्ति के वितरण में असमानता को कम किया जा सकता है लेकिन इस दृष्टि से प्रत्यक्ष कर अधिक सक्षम और प्रभावशाली होते हैं।

(3) कर प्रशासन- कर प्रशासन की दृष्टि से प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों को आसानी से और अधिक मात्रा में एकत्रित किया जा सकता है। कुछ विचारकों का यह मत भी है कि अप्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष करों की तुलना में कर चोरी कम होती है।

(4) न्यायशीलता- प्रत्यक्ष कर प्रायः कर देय योग्यता के सिद्धान्त के आधार पर लगाये जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों में इस सिद्धान्त का पूरी तरह से पालन नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायशील होते हैं।

(5) मूल्य वृद्धि पर प्रभाव- अप्रत्यक्ष करों से मूल्य में वृद्धि होती है, लेकिन प्रत्यक्ष करों से मूल्यों में वृद्धि नहीं होती है।

(6) निश्चितता- अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों में निश्चितता का गुण अधिक पाया जाता है।

(7) नागरिकता की भावना- प्रत्यक्ष कर जनता में नागरिकता की भावना उत्पन्न करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष करों से नागरिकता की भावना का उतना विकास नहीं हो होता।

(8) मितव्ययिता- अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों में मितव्ययिता (economy) का गुण अधिक पाया जाता है।

(9) विस्तृत आधार- प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष कर अधिक विस्तृत होते हैं। प्रत्यक्ष कर केवल अधिक आय या सम्पत्ति वालों पर ही लगाये जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों द्वारा राजस्व में समाज के सभी वर्गों का योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-दोनों एक-दूसरे के पूरक उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष करों का भार मुख्य रूप से धनी व्यक्तियों पर , पड़ता है और अप्रत्यक्ष करों का भार निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि सदैव ऐसा नहीं होता। यह भी सम्भव है कि प्रत्यक्ष करों का

भार निर्धनों पर अधिक पड़े और अप्रत्यक्ष करों का भार धनी वर्ग पर पड़े।

प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए प्रो० डी मार्को ने यह विचार व्यक्त किया है कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रो० डी मार्को के अनुसार धनी व्यक्तियों की सम्पूर्ण आय का सही माप नहीं किया जा सकता। यह तो स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष करों का भार उन्हीं व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है जिनकी आय की गणना की जा सकती है, जैसे—वेतन पाने वाले कर्मचारी। इसके विपरीत, कुछ ऐसे अधिक आय वाले लोग होते हैं जिनकी आय तो अधिक होती है किन्तु उनकी आय की सही गणना नहीं की जा सकती, जैसे-डॉक्टर, वकील इत्यादि। अतः ये लोग आयकर से बच जाते हैं। इस प्रकार इन करों का वितरण असमान हो जाता है। किन्तु अप्रत्यक्ष करों से इस असमानता को ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों की आय की गणना नहीं हो पाती और इस प्रकार करों से बच जाते हैं, उनके पास काफी आय बची रहती है जिसे वे वस्तुओं के क्रय करने पर खर्च करते हैं। ऐसी आय पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार करों के भार को विभिन्न वर्गों में समान रूप से वितरित किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर,

प्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं क्योंकि वे ऐसी आय पर लगाए जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष आय के अन्तर्गत नहीं आ पाते।

एक अन्य दृष्टि से भी अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं। एक व्यक्ति की आय में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। किन्तु प्रत्यक्ष करों में इनकी पूर्ण गणना नहीं हो पाती और लोग प्रत्यक्ष करों से बच जाते हैं। किन्तु व्यक्ति की आय बढ़ने से उसके उपभोग में वृद्धि हो जाती है और अप्रत्यक्ष करों के रूप में उसे अधिक राशि का भुगतान करना होता है।

प्रो० डी मार्को के अनुसार, प्रत्यक्ष कर कई रूपों में अप्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं-प्रथम ऐसी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाए जा सकते जिनका उपभोग स्वयं उत्पादकों द्वारा कर लिया जाता है, जैसे-कृषि पदार्थ। ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष करों की आवश्यकता होती है। दूसरे, अप्रत्यक्ष कर, सब प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर नहीं लगाए जा सकते अतः एक व्यक्ति की आय पर अप्रत्यक्ष कर लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन् उस आय पर प्रत्यक्ष कर भी लगाया जाना चाहिए। तीसरे, अप्रत्यक्ष करों के समान, प्रत्यक्ष करों का भी अपवंचन किया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से केवल प्रत्यक्ष करों के द्वारा ही व्यक्तियों की

By-Akhilesh Kumar (G. T Assistant professor)

JK College Biraul Darbhanga

YouTube -A Commerce Education (ACE)

आय की सही गणना करों के लिए नहीं की जा सकती वरन् पूरक के रूप में अप्रत्यक्ष कर भी लगाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि किसी भी देश की कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह कहना बड़ा ही कठिन है कि दोनों में से कौन सा कर उत्तम है?